कार्यालय प्रधानाचार्य :: जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज :: कानपुर।

संख्याः /रैगिंग/छा0लि0–2/2018 दिनांकः 23-8 ,2018

रैगिंग से सम्बन्धित आवश्यक सूचना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–05–2007, एम0सी0आई0, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र दिनांक 17–03–2009 एवं एम0सी0आई0 नोटिफीकेशन आन प्रिवेन्सन एण्ड प्रोहिविसन आफ रैंगिंग रेगुलेसन्स 2009 के अनुसार मेडिकल कालेज/संस्थाओं में किसी भी प्रकार की रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

उ0प्र0 प्रोहीविशन आफ रैगिंग इन एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स एक्ट–2010 के द्वारा रैगिंग गैर कानूनी है तथा एक दण्डनीय अपराध है।

रैंगिंग से तात्पर्य एक वरिष्ठ छात्र द्वारा कनिष्ठ छात्र के प्रति अशिष्ट व्यवहार अथवा उत्पीडन अथवा कनिष्ठ छात्र को कोई ऐसा व्यवहार या कार्य करने के लिए मजबूर करना जिससे उस कनिष्ठ छात्र को सामाजिक, मानसिक या शारीरिक क्षति हो या कनिष्ठ छात्र में डर अथवा शर्म की भावना जागृत हो, रैगिंग समझा जायेगा।

इसके अलावा 29 जून 2016 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमावली के तृतीय संशोधन के अनुसार रैगिंग की परिभाषा को, इसमें निम्नलिखित जोड़कर विस्तारित कर दिया गया हैः–

"रंग वंश, धर्म, जाति, मानव जाति, लिंग (उभयलिंग सहित), यौन अभिमुखीकरण, दिखावट, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीय मूल, भाषाई पहचान, जन्म स्थान, निवास स्थान या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर अन्य छात्र (फ्रेशर या अन्यथा) पर लक्षित शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार, (धमकाने और बहिष्कार सहित) का कोई कृत"

छात्र/छात्रा की जाति अथवा समाज को सन्दर्भित करते हुए अशिष्ट भाषा में अथवा अभद्र व्यवहार करने की भाषा में क्षति पहुचाने की दृष्टि को रैगिंग समझा जायेगा।

उक्त के क्रम में इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अवगत कराया जाता है कि इस चिकित्सा महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतया प्रतिबन्धित है। रैगिंग एक सामाजिक बुराई के साथ गैर कानूनी एवं दण्डनीय अपराध है । महाविद्यालय के अन्दर या बाहर रैगिंग करने रैगिंग में भाग लेने, रैगिंग हेतु प्रेरित करने या उसका प्रचार करने पर कालेज से निष्कासन के साथ दो वर्ष तक की सजा या रू0–10,000/– का आर्थिक दण्ड या दोनों दिये जाने का प्राविधान है ।

अतः सभी छात्र/छात्राओ, को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आपको किसी भी प्रकार की रैगिंग से दूर रखे अन्यथा उनके विरूद्ध उपरोक्तानुसार अनुशानात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर

संख्याः 181 /तद्‌दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– उपाध्यक्ष, एन्टी रैगिंग कमेटी, मेडिकल कालेज, कानपुर ।
2– प्रोक्टर, मेडिकल कालेज, कानपुर ।
3– समस्त विभागाध्यक्ष/छात्रावास अधीक्षक/सहायक अधीक्षक, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस आशय से कि उपरोक्तानुसार सभी छात्र/छात्राओं को सूचित करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें ।
4– सभी सूचनापट (प्रधानाचार्य कार्यालय/केन्द्रीय पुस्तकालय/छात्रावास/विभाग), मेडिकल कालेज, कानपुर।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर

श्री/रैगिंग/18